स्थापना वर्ष 1971

उत्तराखण्ड शासन

डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

NAAC द्वारा ग्रेड 'B'

दूरभाष : 84 393 84124

मूल्य : ₹ 30/-

Admission Prospectus 2021-22

प्रवेश विवरणिका 2021–22

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल से सम्बद्ध

उत्तराखण्ड शासन देहरादून के अधीन संचालित

डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

संक्षिप्त परिचय

डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (गढ़वाल) की स्थापना जुलाई 1971 में की गयी। प्रारम्भ में महाविद्यालय को स्नातक (कला एवं विज्ञान) के बारह विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) की स्वीकृति प्राप्त हुई। 1974-75 में इसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्ष 1976-77 में इसे स्नातक वाणिज्य एवं 1977-78 में स्नातकोत्तर वाणिज्य संकाय की कक्षाओं के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्ष 1979-80 में शिक्षा संकाय (बी0एड0) की कक्षायें प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी। वर्ष 1999-2000 से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का एक अध्ययन केन्द्र महाविद्यालय परिसर में स्थापित है, जिसमें 24 विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2001-02 से उत्तराखण्ड शासन द्वारा परास्नातक स्तर पर गृह विज्ञान एवं समाज शास्त्र विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करायी गई। सत्र 2008-09 में संगीत विषय की कक्षायें प्रारम्भ कर दी गई। सत्र 2013-14 में शासन स्तर से संगीत विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्ष 2011-2012 से महाविद्यालय में उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी का केन्द्र भी संचालित हो रहा है।

पौड़ी जनपद के कोटद्वार नगर में बद्रीनाथ मार्ग के समीप स्थित यह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पठन-पाठन एवं छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण

विकास के लिये एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत करने में निरंतर प्रयासरत है। खेल-कूद की सुविधाओं के लिये महाविद्यालय में क्रीड़ा-प्रांगण, बास्केट बाल कोर्ट तथा शारीरिक सौष्ठव एवं विकास के लिए विभिन्न मशीनों से सुसज्जित जिम्नेजियम है। महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए एन.सी.सी. की एक कम्पनी है, जिसमें 160 छात्र-छात्राओं के पंजीकरण की सुविधा है। समाजोपयोगी कार्यों में रुचि रखने एवं नि:स्वार्थ भाव से राष्ट्रहित में कार्य करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए महाविद्यालय में रोवर्स एण्ड रेंजर्स की 2 इकाइयाँ एवं एन.एस.एस. की 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं। गोष्ठियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम की सुविधा भी है। शहरी कोलाहल से मुक्त प्राकृतिक वातावरण में स्थित महाविद्यालय परिसर छात्रों के बौद्धिक विकास के लिये एक उचित वातावरण प्रदान करता है। उत्तराखण्ड शासन ने सत्र 2005-06 से महाविद्यालय को एक विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। इसी योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में बी.एस.सी. बायो टैक्नोलॉजी सत्र 2006-07 से अलग संकाय के रूप में प्रारम्भ किया गया है। सत्र 2008-09 से स्ववित्तपोषित बी.एड. पाठ्यक्रम 100 सीटों से प्रारम्भ करने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गयी है। 2011-12 में महाविद्यालय में एडुसेट कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। वर्तमान सत्र में भारत सरकार की रूसा परियोजना के अन्तर्गत एक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया गया है। छात्रों के शैक्षिक उन्नयन हेतु ई-लाईब्रेरी की सुविधा सत्र 2020-21 से प्रारम्भ की गई है। महाविद्यालय में कोविड-19 के दृष्टिगत सभी विद्यार्थियों हेतु समस्त शिक्षण कार्य ऑनलाईन माध्यम से कराये जा रहें है। गत सत्र से समस्त प्रवेश भी ऑनलाईन माध्यम से किये जा रहे है।, जिस हेतु महाविद्यालय का ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल कार्य कर रहा है।

अध्ययन विषय एवं पाठ्यक्रम चयन

महाविद्यालय में चार संकायों के अंतर्गत निम्नवत् पठन-पाठन होता है-

1. कला संकाय

बी.ए. (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम, सत्र 2019-20 से लागू है।

कला संकाय के अंतर्गत निम्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की सुविधा है :-

स्नातक	: दर्शन शास्त्र, चित्रकला, गणित।
स्नातक एवं स्नातकोत्तर	: हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र गृह विज्ञान एवं संगीत।
अनिवार्य विषय	: पर्यावरण अध्ययन (जिसे द्वितीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है।)

विषय चयन सम्बन्धी नियम (कला संकाय)

1. बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु छात्रों को तीन विषयों का चयन करना अनिवार्य है।
2. कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय ले सकता है।
3. कोई भी छात्र मात्र दो प्रायोगिक विषयों का ही चयन कर सकता है किन्तु-
   - (अ) भूगोल के साथ संगीत, चित्रकला तथा इतिहास का चयन नहीं किया जा सकता।
   - (ब) अर्थशास्त्र के साथ संगीत, चित्रकला तथा दर्शनशास्त्र का चयन नहीं किया जा सकता है।
   - (स) गृह विज्ञान के साथ गणित का चयन नहीं किया जा सकता है।
   - (द) केवल वे ही छात्र/छात्रा भूगोल तथा चित्रकला का चयन कर सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा इन विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
   - (य) स्नातक स्तर पर केवल वही छात्र संगीत विषय का चयन कर सकते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा संगीत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, या इंटरमीडिएट परीक्षा में संगीत विषय न होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा या जिन्होंने भातखण्डे संस्थान व प्रयाग संगीत समिति से सीनियर डिप्लोमा/चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।
   - (र) केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला या विज्ञान संवर्ग के अन्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

(ल) गणित के साथ अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय ही ले सकते है।

नोट – महाविद्यालय में संगीत विषय की गायन शाखा का ही संचालन किया जा रहा है।

2. विज्ञान संकाय

विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों की सुविधा उपलब्ध है–

स्नातक एवं स्नातकोत्तर : रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान।

विषय चयन सम्बन्धी नियम (विज्ञान संकाय)

1. स्नातक स्तर पर निम्न दो वर्गों में से किसी एक वर्ग के विषयों का चयन किया जा सकता है–

   वर्ग 1 – रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित।

   वर्ग 2 – जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान।

2. अनिवार्य विषय : पर्यावरण अध्ययन जिसे द्वितीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

3. प्रयोगात्मक विषयों में केवल उस विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसका अध्ययन स्नातक स्तर पर किया जा चुका होगा।

3. वाणिज्य संकाय

1. बी0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने,
   - (I) इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।
   - (ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा अन्य विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो, किन्तु इन्हें क्वालीफाइंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।
   - (iii) अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन जिसे द्वितीय वर्ष में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
2. एम0कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों,
   - (i) बी0कॉम0 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।
   - (ii) बी0ए0 परीक्षा अर्थशास्त्र अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण की हो, किन्तु इन्हें क्वालिफाईग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।

नोट : स्नातकोत्तर पर सभी संकायों में सेमेस्टर प्रणाली लागू है।

4. शिक्षा संकाय (बी0 एड0)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा अथवा दिशा निर्देशों के आधार पर निर्धारित संख्या के अनुसार प्रवेश देकर बी0एड0 प्रशिक्षण की व्यवस्था है। वर्ष 1979-80 से महाविद्यालय में बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित है जो कि एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है तथा इसमें सत्र 2015-16 से 50 + 05 EWS हेतु सीटें आवंटित है तथा पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है।

वर्ष 2008-09 से महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसमें सत्र 2015-16 से 50 + 05 EWS हेतु सीटों का आबंटन किया गया है तथा पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है। बी0एड0 प्रवेश परीक्षा या विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशो के आधार पर मेरिट द्वारा प्रवेश दिया जाता है।

बी0एससी0 (Bio-technology with ZBC**)** -

उत्तराखण्ड शासन द्वारा महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय की श्रेणी में विकसित करने के उद्देश्य से सत्र 2005-06 में त्रिवर्षीय बी.एससी. (Bio-technology with ZBC) पाठ्यक्रम को अलग संकाय के रूप में प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हुई। पाठ्यक्रम हेतु 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। छात्र-छात्राओं को बायोटेक्नोलॉजी विषय के साथ-साथ प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषयों को पढ़ाया जाता है संकाय में सभी विषयों के अध्ययन-अध्यापन की पूर्ण सुविधा है। वर्तमान में संकाय का अपना अलग नवनिर्मित भवन है, जिसमें प्रयोगशाला, कक्षा-कक्ष, कम्प्यूटर लैब आदि सुव्यवस्थित है। विभाग के पास अपना पुस्तकालय व संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। शुल्क 35000 रू0 प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क व महाविद्यालय शुल्क भी छात्र को अलग से देय होगा। शुल्क का निर्धारण शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के आदेश पत्रांक /4847-4916/2013-14, दिनांक 12 जुलाई 2013 द्वारा किया गया है। छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए शुल्क दो किस्तों में लिया जाता है। प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है तथा राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय है। अधिक जानकारी हेतु छात्र इसके समन्वयक से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

बायोटैक्नोलॉजी में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में बी0एससी0 (बायो ग्रुप) में प्रवेश लेने के लिए स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। अतः बी0एससी0 (बायो ग्रुप) एवं बी0एस0सी बायोटैक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश स्वयं ही निरस्त हो जायेगा। उसके स्थान पर प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र -महाविद्यालय में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र भी स्थापित है। अध्ययन केन्द्र में पत्राचार के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए समन्वयक से सम्पर्क किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र - उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय अध्ययन केन्द्र सन् 2011-12 से संचालित है। अधिक जानकारी के लिये समन्वयक से सम्पर्क किया जा सकता है।

शिक्षणेत्तर क्रिया-कलाप -

विद्यार्थियों के चहुँमुखी विकास के लिये निम्नलिखित शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों की व्यवस्था महाविद्यालय में उपलब्ध है।

1. एन0सी0सी0
2. राष्ट्रीय सेवा योजना
3. क्रीड़ा परिषद
4. विभागीय परिषदें
5. छात्रसंघ सप्ताह
6. सांस्कृतिक परिषद
7. रोवर्स एण्ड रेंजर्स

1. एन0सी0सी0

छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में एन0सी0सी0 की व्यवस्था भी है। छात्रों में एकता और अनुशासन की भावना तथा नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु एन0सी0सी0 में प्रशिक्षण दिया जाता है। एन0सी0सी0 में स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ही नामांकित हो सकते हैं। महाविद्यालय की एन0सी0सी0 इकाई में 160 कैडेट होते हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के कैडेट होते हैं। एन0सी0सी0 में नामांकन हेतु अगस्त माह में प्रवेश प्रतियोगिता (शारीरिक) कराई जाती है, जिसमें शारीरिक रूप से योग्य कैडेटों का चयन कर उनका नामांकन किया जाता है।

वर्ष 2004-05 से महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के तहत छात्रा कैडेटों की भर्ती की जाती है। प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं प्रवेश संबंधी सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एन0सी0सी0 अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) –

राष्ट्रीय सेवा योजना को अधिक सोदेश्य तथा कैरियर पर आधारित बनाने के लिए इसे लेने वाले छात्र–छात्राओं को विशेष योग्यता के 'ए', 'बी' तथा 'सी' प्रामणपत्र दिये जाते है।

1. 'ए' प्रमाणपत्र सामान्य व विशेष कार्यक्रमों में 240 घंटें की सेवा तथा एक 7 दिवसीय विशेष शिविर में सहभागिता वाले छात्र/छात्राओं को प्रदान किया जाता है।
2. 'बी' प्रमाण पत्र हेतु उपरोक्त कार्यक्रमों ('ए' प्रमाण पत्र हेतु) को करने के पश्चात नामांकन के प्रथम वर्ष में निर्धारित पाठ्यक्रम पर 100 अंक की परीक्षा पास करनी होती है।
3. 'सी' प्रमाण पत्र हेतु नामांकन के द्वितीय वर्ष में निश्चित उपस्थिति तथा 'बी' प्रमाण पत्र हेतु आयोजित परीक्षा पास करने वाले छात्र/छात्राएं इस में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा 100 अंक की होती है।

इस संबंध में छात्र–छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संप्रति महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 यूनिट (प्रत्येक में 100 छात्र/छात्राएं) हैं। प्रत्येक यूनिट का एक कार्यक्रम अधिकारी है।

3. क्रीड़ा परिषद –

छात्र/छात्राओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के परिप्रेक्ष्य में पठन–पाठन के साथ–साथ क्रीड़ा गतिविधियों का होना भी आवश्यक हे। प्रत्येक छात्र/छात्रा खिलाड़ी को क्रीड़ा विभाग में अपने खेल विशेष हेतु पंजीकण करवाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा कलैण्डर जारी हो जाने के बाद महाविद्यालय में चयन तिथियां निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को अपने खेल विशेष से सम्बन्धित अभ्यास कार्य में सम्मिलित होना अनिवार्य है। खिलाड़ियों का चयन क्रमशः 'अ' तथा 'ब' वर्ग में किया जाता है। 'अ' वर्ग में वे छात्र/छात्रायें आते हैं, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।

महाविद्यालय क्रीड़ा कार्यक्रम एवं क्रीडा प्रतियोगितायें निम्नवत् है–

दैनिक अभ्यास – प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक
सांय 4 बजे से 6 बजे तक

स्थान – महाविद्यालय जिम्नेजियम एवं खेल मैदान

क्रीड़ा प्रतियोगितायें – छात्र/छात्रा एथलैटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिन्टन, बॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज, बॉक्सिंग तथा वेट लिफ्टिंग एवं पावर लिफ्टिंग (केवल छात्र) महाविद्यालय की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगितायें, अन्तर महाविद्यालयी क्रीडा प्रतियोगिताओं के

आयोजन से पूर्व सम्पन्न होती हैं। वार्षिक समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले/पदक प्राप्त छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया जाता है।

4. विभागीय परिषदें -

सभी विषयों में विभागीय परिषदों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। जिसके माध्यम से विभिन्न शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों के अंतर्गत निबन्ध, क्विज, सामान्य ज्ञान, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

5. छात्र संघ

सत्र 2016-17 से राजकीय महाविद्यालय के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने पर उनमें छात्र संघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या - S.L.P. (Civil) Np 24295/2004/दिनांक-24/06/2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनांक - 23/10/2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं0 184/XXIV(6)@2007-3(168)2001, दिनांक - 27/02/2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगें।

6. सांस्कृतिक परिषद

सांस्कृतिक परिषद के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अंतर संकाय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जिसमें सुगम संगीत, कव्वाली, लोकगीत, लोकनृत्य, एकल नृत्य, एकांकी, नाटक आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है।

7. रोवर्स रेंजर्स

महाविद्यालय में रोवर्स एण्ड रेंजर्स की इकाईयां भी हैं जिनमें 24 छात्र एवं 24 छात्रायें पंजीकृत किये जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रभारी रोवर्स तथा प्रभारी रेंजर्स से सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष निर्देश - महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह अपनी रूचि एवं इच्छानुरूप प्रत्येक शिक्षेणत्तर क्रियाकलापों में अधिकाधिक प्रतिभाग करने का प्रयास करें तथा इस हेतु सम्बन्धित प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक

प्रवेश के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

1. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 स्नातक प्रथम वर्ष में निम्नवत् संकायवार एवं विषयवार सीटें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है।

(क) विज्ञान संकाय	–	1. बी.एससी प्रथम वर्ष (गणित वर्ग)		–	320
	–	2. बी.एससी. प्रथम वर्ष (बायो वर्ग)		–	320
	–	3. बी.एससी. (बायोटेक्नालॉजी)		–	30
(ख) वाणिज्य संकाय	–	बी.काम. प्रथम वर्ष		–	320
(ग) कला संकाय	–	बी.ए. प्रथम वर्ष	1. हिन्दी	–	335
	–		2. अंग्रेजी	–	335
	–		3. संस्कृत	–	125
	–		4. राजनीति वि0	–	335
			5. अर्थशास्त्र	–	335
			6. इतिहास	–	224
			7. भूगोल	–	224
			8. गृहविज्ञान	–	84
			9. समाजशास्त्र	–	224
			10. दर्शनशास्त्र	–	110
			11. संगीत	–	42
			12. चित्रकला	–	42
			13. गणित (कला–वर्ग)	–	40

2. (क) डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।
   (ख) Online आवेदन पत्र भरने से पहले और विषयों के चयन करते समय अभ्यर्थी प्रवेश नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें ।
3. बी०ए०/बी०कॉम (इंटरमीडिएट कॉमर्स के साथ उत्तीर्ण)/बी०एससी० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु समकक्ष परीक्षा में (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर) क्रमश 40, 40 एवं 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इण्टरमीडिएट परीक्षा कला एवं विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बी.काम. में प्रवेश हेतु समकक्ष परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में 5 प्रतिशत की छूट होगी। 39.99 अथवा 44.99 को क्रमशः 40 अथवा 45 प्रतिशत नही माना जायेगा।
4. स्नातक प्रथम वर्ष में सभी संकायों में प्रवेश मेरिट सूची के अनुसार होंगे ।
5. **सत्र 2021–22 हेतु समस्त प्रवेश केवल ऑनलाईन माध्यम से ही किये जायेंगे**
6. प्रवेश प्रक्रिया (Online प्रवेश आवेदन भरने, मेरिट सूची, हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा

करने की तिथि कॉउसिंलिग की तिथि इत्यादि) की सूचना महाविद्यालय के Online Admission Portal के माध्यम से दी जायेगी

7. Online आवेदन पत्र भरते समय वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों को Portal पर Upload करना अनिवार्य है। तथा महाविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र की हार्डकॉपी सलग्नकों (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.), चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) एवं माइग्रेशन की मूल प्रतियाँ, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं भाराँक के प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां इत्यादि) जमा करना आवश्यक है।
8. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार की सूचना सूचना - पट्ट/ Online Portal के माध्यम से दी जायेगी ।
9. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने पर प्रवेशार्थियों की योग्यता सूची जारी की जायेगी । योग्यता सूची जारी होने पर निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित प्रवेशार्थी को अपने मूल अभिलेखों के साथ स्वयं प्रवेश समिति के सम्मुख साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात प्रवेशार्थी को प्रवेश संस्तुत होने पर प्रवेश शुल्क निर्धारित तिथि तक Online जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वत: निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात प्रतीक्षारत आवेदक को प्रवेश दे दिया जायेगा ।
10. प्रवेश लेने के उपरांत संकाय / विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
11. प्राचार्य को बिना कोई कारण प्रवेश न देने / निरस्त करने का अधिकार होगा ।
12. प्रवेश की अन्तिम तिथि सभी कक्षाओं के लिए है, लेकिन जिनके परीक्षाफल बाद में घोषित होंगे उनसे सम्बन्धित सभी कक्षाओं के लिए कक्षा में प्रवेश रिजल्ट घोषित होने के 20 दिन के अन्दर तक होंगे । यह सुविधा केवल स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के छात्र / छात्राओं के लिए होगी ।
13. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
14. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग / विकलांग की आरक्षण श्रेणी में आच्छादित होने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. महाविद्यालय के गतवर्ष के विद्यार्थियों को आवेदन पत्र के साथ विगत परीक्षा की स्व प्रमाणित / सत्यापित अंक तालिका (जिसे साक्षात्कार के समय मूल प्रति में प्रस्तुत करना होगा) जमा करना होगा ।

16. महाविद्यालय के पूर्व छात्र अगली कक्षा हेतु आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा ।
17. विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय दूसरे विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आये आवेदकों के लिए प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टीफिकेट) मूल रूप से जमा करना अनिवार्य होगा ।
18. विभिन्न संकायों/विषयों के सम्भावित प्रवेश हेतु अलग- अलग आवेदन पत्र भरे जाने आवश्यक हैं, ताकि आवेदक अपनी
    योग्यतानुसार वांछित संकाय/ विषय में प्रवेश प्राप्त कर सके। जैसे यदि किसी छात्र/छात्रा को यह आभास होता है कि उसका विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय में प्रवेश नहीं हो सकता है तो वह उन दोनो संकायों के अतिरिक्त कला संकाय में भी प्रवेश के लिए पृथक आवेदन जमा कर सकता है । स्नातकोत्तर स्तर पर भी अलग - अलग विषयों में प्रवेश हेतु अलग - अलग आवेदन पत्र भरना आवश्यक होगा । आवेदन पत्र एक विषय/ संकाय से दूसरे विषय/संकाय में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ।
19. स्नातक स्तर की विभिन्न कक्षाओं के लिए मेरिट के आधार पर निर्धारित सीटों के लिए प्रवेश समितियों द्वारा साक्षात्कार के
    आधार पर प्रवेश संस्तुत किये जाते हैं। स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय में विशिष्ट प्रवेश नियमों का प्रयोग करते हुए, योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश संस्तुत एवं स्वीकृत किये जाते हैं। साक्षात्कार एवं प्रवेश स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड/Online Portal द्वारा दी जायेगी । पृथक से कोई सूचना नही दी जायेगी ।
20. प्रवेश के लिए संस्तुत किये गये प्रवेशार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि के अन्दर Online में शुल्क जमा कर प्रवेश (एड़मिशन) प्राप्त कर लें । प्रवेश शुल्क रसीद को सम्बन्धित कक्षाओं में विषय प्राध्यापक को दिखाकर अपना नाम लिखवा लें।
21. किसी भी प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र स्वीकृत करने या बिना कारण बताये अस्वीकृत / निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है । किसी भी छात्र /छात्रा द्वारा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या किसी भी आवश्यक तथ्य को छुपाने की जानकारी प्राचार्य को प्राप्त होने पर उसका प्रवेश अस्वीकृत या निरस्त कर दिया जायेगा ।
22. जिन छात्र - छात्राओं की गतिविधियां अनुशासन मण्डल /प्रशासन की दृष्टि से अवांछनीय

हैं, उन्हे प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

23. **महाविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने तथा प्रवेश की अन्तिम तिथि वही होगी जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी ।**
24. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ''एन्टीरैगिंग'' सम्बन्धी शपथ प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
25. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर वरीयता सूचकांक के आधार पर प्रवेश देय होगा।
26. अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश पूर्व अपने जिले के पुलिस अधीक्षक/थानाध्यक्ष से पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र (हस्ताक्षर, नाम एवं सील सहित) प्रस्तुत करना होगा।
27. अन्य राज्यों के प्रवेशार्थियों को B.A.I, B.Com I एवं B.Sc I में प्रवेश लेने हेतु विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
28. प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा।
29. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रवेशार्थी के अभिभावक का स्थानान्तरण कोटद्वार तहसील के अन्तर्गत होता है तो ऐसे प्रवेशार्थी को रिक्त स्थान होने पर ही प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
30. अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके प्रवेशार्थी को इस महाविद्यालय में प्रवेश देय नही होगा।
31. **महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर में शासन के निर्देशानुसार एक ड्रेस कोड लागू है जो निम्नानुसार है-**

छात्र-सफेद कमीज, नेवी ब्लू पैंट, नेवी ब्लू स्वेटर।

छात्रा-सफेद कुर्ता, नेवी ब्लू सलवार, नेवी ब्लू दुपट्टा, नेवी ब्लू स्वेटर

सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

महाविद्यालय में सत्र 2021-22 में प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार सभी प्रवेश केवल ऑनलाईन माध्यम से किये जाने हैं। अतः सभी अभ्यर्थी इस हेतु महाविद्यालय के Online Portal- **www.online.gpgckotdwar.org** के माध्यम से निरंतर सम्पर्क में रहें। प्रवेश सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया, अन्तिम तिथि, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मैरिट नियम, प्रवेश विवरणिका, संकायवार, कक्षावार शुल्क, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया आदि सभी प्रकार की जानकारियाँ वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी। ऑनलाईन प्रवेश से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं एवं नियमों का पूर्णरूपेण पालन किये जाने, मैरिट सूची में स्थान प्राप्त किये जाने की सूचना एस.एम.एस/Portal के माध्यम से प्राप्त किये जाने के उपरान्त विधिवत प्रवेश शुल्क की धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अभ्यर्थी का प्रवेश मान्य होगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर विषयवार निर्धारित छात्र संख्या-सत्र 2021-22

1.	विज्ञान संकाय-	एम.एससी.	जन्तु विज्ञान	-	25
		''	वनस्पति विज्ञान	-	25
		''	रसायन विज्ञान	-	25
		''	भौतिक विज्ञान	-	25
		''	गणित	-	75
2.	वाणिज्य संकाय-	एम.कॉम		-	65
3.	कला संकाय-	एम.ए.	हिन्दी	-	65
		''	संस्कृत	-	65
		''	अंग्रेजी	-	65
		''	भूगोल	-	65
		''	समाजशास्त्र	-	65
		''	अर्थशास्त्र	-	65
		''	राजनीति विज्ञान	-	65
		''	इतिहास	-	65
		''	गृह विज्ञान	-	22
		''	संगीत	-	22

नोटः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटो पर नियमानुसार प्रवेश देय होगा

प्रवेश नियम सत्र 2021-22

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होंगे -

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश समितियों का गठन किया जाएगा जो कि अलग-अलग संकायों में प्रवेश से संबंधित कार्यो का दायित्व पूर्ण करेंगी। तत्सम्बन्धित संकायों में प्रवेश में उक्त समिति और प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। प्रवेश का दायित्व प्राचार्य का होगा।
2. बी०ए०/बी०कॉम (इंटरमीडिएट कामर्स के साथ उत्तीर्ण)/बी०एससी० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु समकक्ष परीक्षा में (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर) क्रमश 40, 40 एवं 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इण्टरमीडिएट परीक्षा कला एवं विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बी.काम. में प्रवेश हेतु समकक्ष परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में 5 प्रतिशत की छूट होगी। 39.99 अथवा 44.99 को क्रमशः 40 अथवा 45 प्रतिशत नही माना जायेगा।
3. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह है। जबकि कुलसचिव गढ़वाल वि0 वि0 के पत्रांक ग0 वि0 वि0/परीक्षा/2008 दिनांक 03.05.2008 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के अपने आदेश दिनांक 23.01.2008 में गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन से पंडित परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष नहीं माना गया है। अतः ऐसे छात्र छात्राओं को इस महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश देय नहीं होगा।
4. चरित्र प्रमाण पत्र संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियंता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(i)/2001 द्वारा निर्धारित होगी जो इस प्रकार है:-

   अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (उत्तराखंड) के प्रवेशार्थी सक्षम अधिकारी

द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे ताकि नियमानुसार उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सके। अनुसूचित जाति के छात्रों को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 4 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को 14 प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों में एवं सामान्य श्रेणी के सीटो में निम्न प्रकार क्षैतिज आरक्षण देय होगा – महिला 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, दिव्यांग 4 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2 प्रतिशत। सभी कक्षाओं/श्रेणियों में छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिये होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों के प्रवेशार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण देय होगा।

6. अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रव्रजन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. बी0एड0 में प्रवेश विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा/दिशा निर्देशों के आधार पर मेरिट अंकों के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरित समय–समय पर प्राप्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार की विधिक संस्थान के निर्देशों एवं आदेशों का पालन किया जायेगा।
8. **अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा।** इस विश्वविद्यालय से अनुर्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप आउट (ड्राप आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो, परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो।) भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकता है। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर व अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदलकर प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण/प्रवजन प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन की सुविधा रहेगी। जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। अर्थात व्यावसायिक

पाठ्यक्रमों के छात्र उक्त अवधि के पश्चात भी अध्ययनरत रह सकते हैं। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे, जिन्होंने पूरे सत्र अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र अनुक्रमांक दिया गया हो और उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया हो।

10. **संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी परीक्षा प्रवेशार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं ले सकेगा। अर्थात् एक बार स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुनः स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी छात्र ने एम0ए0 अर्थशास्त्र विषय उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी भी अन्य विषय में प्रवेश नही दिया जायेगा और न ही वह किसी अन्य संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।**
11. अनुचित साधन के प्रयोग के अंतर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
12. छात्र/छात्राओं के परिचय पत्रों में भी विषयों का उल्लेख किया जायेगा।
13. संस्थागत छात्र उपाधि हेतु एक ही सत्र में किसी भी अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश नही लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में शामिल होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लघंन कर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। शोध छात्रों पर भी यह नियम लागू होगा।
14. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शैक्षणिक कलैण्डर महाविद्यालय पर भी लागू होगा।
15. प्रवेश की अंतिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कंपार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है जिन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा किये हों, अन्यथा वे प्रवेश हेतु अयोग्य होंगें।
16. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ-साथ न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
18. **रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैंगिग में लिप्त विद्यार्थी को**

नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

19. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तो का अनुपालन करता है तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु इस समयान्तराल का शपथ-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो।
20. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि 10वीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा इंटरमीडिएट में पाँच विषय हो।
21. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नही मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नही माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

नोट - श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (टिहरी गढ़वाल) द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नवीनतम् प्रवेश नियमावली महाविद्यालय को अद्यतन प्राप्त नही हैं। अतः विवरणिका में सम्मिलित किये जा रहे समस्त प्रवेश नियम मात्र सुलभ संदर्भ हेतु समाहित किये गये हैं। किसी भी संशय की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम नियमों एवं आदेशों को प्रभावी माना जायेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये योग्यता क्रम निर्धारण हेतु नियम

वरीयता अंक/अतिरिक्त अंक तभी देय होगे जब छात्र/छात्रा के द्वारा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गयी हो और प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त अंक देय नहीं होंगे।

1. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 अथवा 7 अतिरिक्त अंक देय होंगे।
2. एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक।

3. राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', बी प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे+दो विशेष शिविरों को 2 अंक, सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक।

4. स्काउट में पद सोपान-1 धारक को 1 अंक तथा पद सोपान-3 धारक को 2 अतिरिक्त अंक देय होगे, निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार धारक को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार धारक को 3 अंक देय होंगे।

नोट :- उपरोक्त बिन्दु 2,3 व 4 में किसी भी दशा में 5 अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

5. सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री) को 3 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

नोट :- 1.अधिकतम देय अंक 15 ही होगें।

2. क्रीडा/एन.सी.सी./एन.एस.एस. में से किसी एक गतिविधि में एक से अधिक प्रमाण पत्र होने पर केवल एक प्रमाण पत्र (अधिकतम अंको वाले) के अधिभार अंक देय होंगे। अर्थात् यदि एन.सी.सी. का बी एवं सी दोनों प्रमाण-पत्र है तो प्रवेशार्थी को केवल 'सी' प्रमाण पत्र के अंक देय होंगे।

नोट :- माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या 153/XXIV(4)/2017-09 (35)/2016 दिनांक 6 जून 2017 एवं निदेशालय के पत्रांक डिग्री-विधि/3440-3557/2017-18 दिनांक 7 जून 2017 के माध्यम से महाविद्यालय में पूर्व में लागू उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, मण्डल के विद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, महाविद्यालय के प्राध्यापकों/कर्मचारियों के पाल्यों एवं पोषक विद्यालयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले वरीयता अंकों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु सामान्य जानकारी

वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में सभी प्रकार के प्रवेश केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिये जायेंगे। इस हेतु समस्त अभ्यर्थी महाविद्यालय के Online Portal **www.online.gpgckotdwar.org** पर विजिट करके सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु मोबाइल एवं Email पर OTP भेजा जायेगा। तत्पश्चात् आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् आवेदन पत्र Submit हो सकेगा। ऑनलाईन प्रवेश के साथ-साथ शिक्षण कार्य तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी विद्यार्थी को ऑनलाईन माध्यम से ही दी जानी है। सभी विद्यार्थी से आवेदन पत्र भरते समय स्वयं के द्वारा उपयोग किये जाने वाले मोबाइल का नं. व Email ही दिया जाना सुनिश्चित करें। दिये गये मोबाइल नं. व Emailको परिवर्तित किये जाने अथवा किसी अन्य का मोबाइल दिये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालय द्वारा प्रेषित की जाने वाली किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रहने हेतु विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यताक्रम निर्धारण हेतु नियम

1. एम0एससी0 (विज्ञान संकाय) में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी0एससी0 परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होंगे। कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से बी0ए0/बी0कॉम/बी0एससी0 परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होंगे। वाणिज्य संकाय की स्नातकोत्तर कक्षा (एम.काम.) में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इस विश्व विद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक (वाणिज्य बी.काम.) की परीक्षा में उत्तीर्ण 40 प्रतिशत एवं अन्य संकाय की स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होंगें। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को नियमानुसार न्यूनतम अंको मे छूट अनुमन्य होगी।
2. बी.ए. में लिये गये विषयों से ही एम.ए. में प्रवेश देय होगा। किन्तु बी.एस.सी./बी.कॉम उत्तीर्ण छात्र किसी भी विषय से एम.ए. प्रथम वर्ष (प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर प्रवेश के लिये अर्ह होगा।

3. प्रयोगात्मक विषयों में केवल उस विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसे छात्र ने बी0ए0सी0/बी0ए0 में लिया हो।

4. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा–

(अ) सूचकांक की गणना निम्न सूत्र द्वारा होगी –

सूचकांक $(x/X + y/Y)x100$

यहाँ x=प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के प्राप्तांको का योग,

यहां X=प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के पूर्णाकों का योग,

यहां y= स्नातक के तीनों वर्षों के प्राप्ताकों का योग

यहां Y= स्नातक के तीनों वर्षों के पूर्णाकों का योग

(ब) अतिरिक्त अंकों की गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड़ दिया जायेगा।

5. (i) आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो पाँच अंक एवं श्री देव सुमन विश्वद्यिालय के स्नातक को तीन अंक।(अधिकतम पाँच अंक)

(ii) अंतर विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को 5 तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आवेदक को 7 अंक देय होंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर दो अंक देय होंगे।

(iii) एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड के प्रतिभागी को (राष्ट्रीय)को 5 अंक।

(iv) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + 2 विशेष शिविरों को 2 अंक, सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड के प्रतिभागी को 5 अंक।

(v) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को दो अतिरिक्त अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

नोट A) उपरोक्त ब के अंतर्गत अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे।

B) योग्यता क्रम निर्धारण हेतु विवरणिका में दिये गये निर्देश केवल सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 हेतु जारी किये जाने वाले प्रवेश नियम/योग्यता क्रम निर्धारण नियम अथवा सम्बन्धित नियम महाविद्यालय को प्राप्त होने पर केवल विश्वविद्यालय के नियम ही मान्य होंगे।

6. प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश स्वत: ही समझा जायेगा।
7. प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के 50 प्रतिशत प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथ ही प्रयोगात्मक विषयों में भी 50 प्रतिशत प्रयोगात्मक परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

उपस्थिति - नियम -

शासनादेश संख्या 528(1)15-(उ0शि0)71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी संस्थागत छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नही कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक-पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरा नहीं करता। निम्नलिखित परिस्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्याान व प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक-पृथक 5 प्रतिशत तक की छूट सम्बन्धित विषय/प्रश्न पत्र के प्रभारी अध्यापक जिसे प्राचार्य द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा 10 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

(1) विद्यार्थी की लंबी और गंभीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित न होने के 15 दिनों के अंदर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा कर दिया हो या इसी के समकक्ष किसी अत्यंत विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।

(2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन0सी0सी, खेलकूद समारोह, एन0एस0एस0 शिविर आदि के निमित्त जाने पर उपस्थिति में शिथिलता कर दी जाएगी। समस्त कक्षाओं में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जाएगी।

अनुशासन

महाविद्यालय में स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन बनाए रखने हेतु शास्ता मंडल का गठन किया जाता है। शास्ता मंडल द्वारा महाविद्यालय में समय-समय पर नियम बनाए जाते हैं जिनका अनुपालन छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य है। शास्ता मंडल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को ज्ञात होना चाहिए कि

उसे किसी भी अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर नियंता मंडल को पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही/निष्कासित कर सकता है। दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही इसलिए भी आवश्यक हो जाती है जिससे महाविद्यालय का वातावरण दूषित ना हो और छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व, कर्मचारियों की शांति भंग ना हो तथा उनके नैतिक दायित्व/कार्यों में कोई बाधा उपस्थित ना हो। महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण बनाने में सहयोग दें।

महाविद्यालय में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में ना लें और बल प्रयोग ना करें। यदि कोई शिकायत हो तो नियंता कार्यालय में तुरंत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि नियंता मंडल उसकी छानबीन करके कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।

महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखें तथा किसी भी स्थिति में उनकी अवहेलना ना करें

मुख्य अपराध

1. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
2. महाविद्यालय के कर्मचारियों एवं प्राध्यापकों के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
3. जाली हस्ताक्षर, जाली कागजात, झूठा प्रमाण पत्र एवं झूठा बयान प्रस्तुत करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल का प्रयोग तथा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शांति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को एक जघन्य एवं दंडनीय अपराध घोषित किया जा चुका है)
7. कक्षाओं में शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना।
8. परिसर में किसी राजनैतिक या सांप्रदायिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार या प्रदर्शन करना।

निषेध

1. महाविद्यालय परिसर में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में यू.जी.सी. द्वारा महाविद्यालय के 200 मी0 की परिधि के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का क्रय एवं विक्रय तथा किसी भी रूप में इनका सेवन किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है तथा इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही/जुर्माने की व्यवस्था है।

2. महाविद्यालय परिसर के कमरों, दीवारों, कक्षों तथा दरवाजों आदि पर लिखना और उन पर विज्ञापन या पोस्टर लगाना।

3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे फुलवारी अथवा संपत्ति को क्षति पहुंचाना।

4. शास्ता द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों या शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इंकार करना।

5. कक्षा के भीतर किसी भी रूप में कोई भी खाद्य पदार्थ विशेषकर च्यूंगम, पान मसाला, तम्बाकू उत्पाद चबाना आदि पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। पालन न किये जाने पर कक्षा से निष्कासित किया जायेगा।

परिचय पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक संस्थागत छात्र को कार्यालय से परिचय पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा। परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखना छात्र के लिये आवश्यक है। यदि कभी शास्ता मण्डल का कोई सदस्य अथवा प्राध्यापक परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय यदि विद्यार्थी नही दिखाता है तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी (बाह्य) व्यक्ति समझा जायेगा। तथा उसके विरूद्ध महाविद्यालय के नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

प्रथम बार निर्गत परिचय पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र कार्यालय से निर्गत होता है किन्तु दूसरा परिचय पत्र 50 रूपये जमा करने पर कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा।

सुविधायें

1. पुस्तकालय एवं बुक बैंक

1. सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर दो एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (उपलब्ध होने पर) चार पुस्तकें 15 (पन्द्रह) दिन के लिए निर्गत की जायेगी। 15 दिनों के पश्चात रू0 1.00 (एक) और एक माह पश्चात रू0 2.00 (दो) प्रतिदिन प्रतिपुस्तक अर्थदण्ड देय होगा।

2. सामान्य कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक पुस्तकों का आदान-प्रदान/वितरण व्यवस्था लागू है। इस संदर्भ में समय-समय पर पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय सूचना पट्ट पर चस्पा करवा दी जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है कि पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत करवाते समय पुस्तकों को भली-भांति जाँच कर ली जाये। कटी-फटी अथवा पृष्ठ गायब होने की स्थिति में पुस्तक वितरण कर्ता को अवगत करायें तदोपरान्त पुस्तक की जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।
4. मुख्य (सत्रांत) परीक्षा प्रारम्भ तिथि से पूर्व पुस्तकालय में निर्गत पुस्तकों को पुस्तकालय में जमाकर अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर ही परीक्षा प्रवेश पत्र दिया जायेगा। अन्यथा परीक्षा प्रारम्भ तिथि के प्रथम 15 दिन तक रू0 1.00 (एक) तदोपरान्त रू0 2.00 (दो) प्रतिदिन प्रति पुस्तक अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।
5. पुस्तकों के क्षतिग्रस्त या खो जाने की स्थिति में उसी शीर्षक एवं लेखक की पुस्तक का नवीनतम संस्करण अथवा पुस्तक का दोगुना मूल्य जमा करना होगा।
6. बुक बैंक से स्नातक स्तर पर छात्र/छात्राओं को समितियों की संस्तुति के आधार पर पुस्तक मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करने पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जायेगी।

2. शुल्क मुक्ति, निर्धन सहायता कोष एवं छात्रवृत्तियां -

1. मेधावी तथा निर्धन छात्र -छात्राओं को निर्धन छात्र सहायता कोष से सहायता प्रदान की जाती है।
2. शुल्क मुक्ति आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, गत परीक्षाओं की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतियां तथा नये छात्र को यदि गत वर्ष शुल्क मुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो उसका प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना आवश्यक है।
3. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के गरीब तथा विकलांग छात्र/छात्राओं को निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है

नोट - भारत सरकार , विभिन्न संस्थानों, राज्य सरकार एवं कार्यालयों द्वारा छात्रवृत्तियाँ डी.बी.टी. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था लागू होने से इसके लाभार्थियों से अपेक्षा है कि वे सम्बन्धित संस्था से अथवा इनकी वेबसाइट के माध्यम से सीधे जानकारी प्राप्त करना सूनिश्चित करें।

3. अन्य सुविधायें

1. छात्र कल्याण परिषद के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी सूचनायें सुलभ कराने की व्यवस्था है।
2. छात्रों की प्रतिभा का विकास करने के लिये महाविद्यालय पत्रिका 'वातायन' का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें छात्रों की मौलिक रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है।
3. महाविद्यालय में राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण दिवसों एवं महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों पर विभिन्न गतिविधियों/प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों का संचालन नियमित रूप से किया जाता है। विद्यार्थी का दायित्व है कि वह इस सम्बन्ध में अपने विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर अधिकाधिक प्रतिभाग करें।

महाविद्यालय के महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र

1. **कार्यालय : 84393 84124**
2. **वेबसाइट : www.gpgckotdwar.org**
3. **ऑनलाईन प्रवेश वेबसाइट : www.online.gpgckotdwar.org**
4. **ई-मेल (महाविद्यालय) : principal.gpgckotdwar@gmail.com**
5. **ई-मेल (आई.क्यू.ए.सी.) : naackotdwar@gmail.com**
6. **दूरभाष (IGNOU) : 01382-226588**
7. **दूरभाष (UOU) : 79837 97487**

वार्षिक शुल्क विवरण (वर्ष 2021-22)

	स्नातक (बी.एससी./ बी.कॉम/बी.ए.)	स्नातकोत्तर (एम.एससी./ एम.कॉम/एम.एस.)	बी0एड0
प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00
शिक्षण शुल्क	.....	180.00	1320.00
प्रयोगशाला शुल्क	240.00	240.00	240.00
विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
मंहगाई शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	3.00	10.00	10.00
पंखा शुल्क	5.00	5.00	5.00
क्रीड़ा शुल्क	216.00	216.00	216.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
विद्युत शुल्क	50.00	50.00	50.00
परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10.00	10.00	10.00
परिचय पत्र शुल्क	30.00	30.00	30.00

सांस्कृतिक परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स/रेंजर्स शुल्क	40.00	40.00	40.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
प्रयोगशाला सामग्री शुल्क (प्रयोगात्मक विषय हेतु)	60.00	60.00	48.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	25.00	25.00	25.00
पी.टी.ए. शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्राँगण विकास	20.00	20.00	20.00
कैरियर काउंसिलिंग	30.00	30.00	30.00
कम्प्यूटर रख रखाव	50.00	50.00	50.00
प्रसाधन	10.00	10.00	10.00
विविध	50.00	50.00	50.00

नोट – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क (कक्षा/संकाय के अनुसार)

परीक्षा आवेदन पत्र भरते समये (Online) **जमा करना होगा। वि0वि0 एवं शासन के निर्देश के अनुरूप शुल्क की धनराशि देय होगी।**

महाविद्यालय में शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ